न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

विविध प्रार्थना पत्र– संख्या 51/ 17 वर्ष 2017

जीसीएम संख्या :–2017/00250

बउनवानी:–1. अब्दुल बहाव एडवोकेट पुत्र श्री काजी अब्दुल हफीज मुसलमान निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. विजेन्द्र सिंह सचिव,ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति शीतल पहाडिया, सरपंच,ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जिला स0मा0

(प्रार्थना पत्र विरूद्व अवहेलना आदेश दिनांक 23.2.2016 न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर)

उपस्थित:–1. श्री अब्दुल बहाव — वकील प्रार्थी

2. श्री संदीप शर्मा — वकील अप्रार्थी–1,2

–: निर्णय :– **दिनांक 04.01.2022**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सचिव/ सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के विरूद्व न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.2.2016 की अवहेलना करने पर प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 12/2015 उनवानी अब्दुल बहाव बनाम अब्दुल कदीर ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 10.3.2015 के विरूद्व श्रीमान के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था जिसपर श्रीमान के न्यायालय द्वारा दिनांक 23.2.2016 को उक्त निगरानी मे निर्णय पारित करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उभयपक्षों की उपस्थिति में विवादित स्थान का मौका देखा जावें एवं उनकी ओर से प्रस्तुत आपत्तियों व स्वामित्व के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए नये सिरे से विधि अनुरूप निर्णय पारित किया जावे। किन्तु न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी को कोई नोटिस नही दिया और ना ही प्रार्थी की उपस्थिति में विवादित स्थान का मौका देखा ओर ना ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया ओर ना ही आपत्तियों व स्वामित्व के संबंध में कोई जॉच की गयी है। दिनांक 20.10.2016 के निर्णय में मौका देखने का अंकन गलत कर रखा है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के जुर्म में तीन–तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी–1 एवं 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सदेव श्रीमान के आदेश की पालना की है प्रार्थी [illegible] कभी भी श्रीमान के आदेश की अवहेलना नही की है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक [illegible]2016 के आदेश की पालना में नोटिस क्रमांक 2016–17/311 दिनांक 11.8.2016 ([illegible]) श्री काजी अमीनुद्दीन पुत्र काजी अमीर मोहम्मद वगै. को जरिये नोटिस क्रमांक 2016–17/310 दिनांक 11.8.2016 ([illegible]29) श्री अब्दुल बहाव पुत्र श्री काजी अब्दुल हफजी निवासी चौथ का बरवाडा को एवं नोटिस

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:03:03 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक 2016–17/309 दिनांक 11.8.2016 (30) श्री अब्दुल कदीर पुत्र इस्माईल काजी निवासी चौथ का बरवाडा को सूचित किया था कि दिनांक 16.8.2016 को मौका निरीक्षण किया जाना है इसलिए उक्त दिनांक को आप मौके पर उपस्थित होवे। दिनांक 16.8.2016 को श्री अब्दुल बहाव द्वारा स्वंय उपस्थित होकर ग्राम पंचायत मे आबादी भूमि होने तथा सिविल कोर्ट से श्रवणाधिकार तय कराने के आधार पर कार्यवाही स्थगित करने के बारे में लिखा तथा स्वंय जानबूझकर मौका निरीक्षण करते समय उपस्थित नही हुआ। इसके बाद ग्राम पंचायत मे वार्ड मेम्बरो द्वारा उपस्थित पक्षकारान के समक्ष मौका देखा गया। इस प्रकार सचिव एवं सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 23.2.2016 की पूर्ण पालना की गयी है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2017 से अब तक उक्त संबंध में कोई साक्ष्य गवाह भी प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना होना साबित हो सके। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभय पक्षों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.10.2016 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को जरिये नोटिस क्रमांक क्रमांक 2016–17/310 दिनांक 11.8.2016 से सूचित करते हुए मौके पर उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया है जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.8.2016 को ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर ग्राम पंचायत में आबादी भूमि होने तथा सिविल कोर्ट से श्रवणाधिकार तय कराने के आधार पर कार्यवाही स्थगित करने के बारे में अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी है। किन्तु मौके पर उपस्थित नही हुए। उक्त तथ्यो के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की सुनवायी किये जाने से संबंधित तथ्यों की पुष्टि हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा 2017 से अबतक ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, गवाह इत्यादि भी प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर यह माना जा सके कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.2.2016 की अवहेलना की गयी हो। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 18:03:03 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर